

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि, क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों, लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों¹ के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदण्ड निर्धारित हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके पालन न होने तथा दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमियों की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा उन नीतियों और निर्देशों को बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का मार्गदर्शन करेंगे, इस प्रकार, ये बेहतर शासन के लिए योगदान दे सकें।

मार्च 2014 को, वैज्ञानिक विभागों को शामिल करते हुए संघ सरकार के 53 मंत्रालय/विभाग थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय नीचे दिया गया है:

¹ www.cag.gov.in/html/auditing_standards.htm

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | व्यय |
|---------|--------------|
| 2011-12 | 47,62,240.00 |
| 2012-13 | 47,93,466.00 |
| 2013-14 | 49,90,057.83 |

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य संघ सिविल मंत्रालयों द्वारा वास्तविक संवितरण नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

| मंत्रालय | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| कृषि | 23396.00 | 24800.00 | 26056.69 |
| नागरिक उड्डयन | 2040.00 | 7069.00 | 6954.59 |
| वाणिज्य एवं उद्योग | 5715.00 | 6076.00 | 6606.51 |
| विदेश मामले | 7871.00 | 10121.00 | 11807.35 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 28683.00 | 29667.00 | 31894.03 |
| गृह मामले | 45707.00 | 48030.00 | 53904.08 |
| मानव संसाधन विकास | 78798.00 | 65571.00 | 71521.74 |
| खनन | 804.00 | 799.00 | 1037.41 |
| पोतपरिवहन | 1664.00 | 1203.00 | 1870.20 |
| वस्त्र | 5057.00 | 4385.00 | 3954.98 |
| पर्यटन | 1115.00 | 934.00 | 1029.20 |
| महिला एवं बाल विकास | 15677.00 | 17037.00 | 18038.59 |
| युवा मामले एवं खेल | 986.00 | 999.00 | 1143.78 |

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकेगा कि व्यय का बड़ा भाग चार मंत्रालयों अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह तथा मानव संसाधन

विकास द्वारा किया गया था जो 2013-14 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों द्वारा किए गए कुल संवितरणों का 77.76 प्रतिशत था।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नि.म.ले. द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले.प., नि.म.ले.प. के (क.श.से.श.) अधिनियम² की धारा 13³ तथा 17⁴ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत नि.म.ले.प. को सौंपी गई है। इसके अलावा, के.स्वा.नि. जो मूलतः भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

1.3 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब


सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

² नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

³ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापक, विनिर्माण, लाभ एवं हानि

⁴ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

वर्ष 2012-13 के लिए, 371 के.स्वा.नि. के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नि.म.ले.प. द्वारा की जानी थी। इनमें से 163 स्वा.नि. के लेखे, देय तिथि के बाद दिये गये थे, जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



स्वायत्त निकायों जिनके लेखे दिसम्बर 2014 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण **परिशिष्ट-1** में दिये गये हैं।

1.4 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में, सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात् आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाएं।

31 दिसम्बर 2014 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति निम्न प्रकार है:

| लेखे का वर्ष | निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये | देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या |
|--------------|--|---|
| 2012-13 | 18# | 83* |

2011-12 के 2 निकाय शामिल हैं

*2011-12 के 2 लेखापरीक्षित लेखे शामिल हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

स्वा.नि. के विवरण जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-II** तथा **परिशिष्ट-III** में दिए गए हैं।

1.5 उपयोग प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को दिये गये अनुदानों के संबंध में, वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है। मार्च 2013 तक दिये गये अनुदानों के संबंध में मार्च 2014 तक देय (वित्त वर्ष जिसमें अनुदान दिये गये, के 12 माह के बाद) ₹43874.99 करोड़ की राशि के 44329 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शाते हुए मंत्रालय/विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट-IV** में दिये गये हैं। 13 मंत्रालयों⁵ ने बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

⁵ विद्युत विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आई.पी.पी. विभाग, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, योजना मंत्रालय तथा प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय।

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

मार्च 2014 को 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की स्थिति नीचे दी गई है:

31 मार्च 2014 को बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | मार्च 2013 को समाप्त अवधि हेतु | |
|---------|-----------------------------|--------------------------------|----------|
| | | संख्या | राशि |
| 1. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 6724 | 16192.46 |
| 2. | कृषि | 3089 | 12380.20 |
| 3. | मानव संसाधन विकास | 3889 | 9954.21 |
| 4. | युवा मामले एवं खेलकूद | 7100 | 1439.31 |
| 5. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 10046 | 653.26 |
| 6. | आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन | 343 | 591.08 |
| 7. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 2704 | 483.59 |
| 8. | जनजातीय कार्य | 164 | 365.93 |
| 9. | महिला एवं बाल विकास | 4611 | 312.72 |
| 10. | संस्कृति | 3248 | 245.09 |
| कुल | | 41918 | 42617.85 |

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रत्येक केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं।

संबंधित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों को जारी की गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गयी हैं:

(क) वर्ष 2013-14 के लिए 123 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-VI**)।

- (ख) वर्ष 2013-14 के दौरान 131 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VII)।
- (ग) वर्ष 2013-14 के दौरान 103 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VIII)।
- (घ) 68 स्वायत्त निकायों ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार भविष्य निधि शेषों का निवेश नहीं किया था (परिशिष्ट-IX)।
- (ङ) 94 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी (परिशिष्ट-X)।
- (च) 135 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर नहीं की है (परिशिष्ट-XI)।
- (छ) 23 स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-हास नहीं दिया गया था (परिशिष्ट-XII)।
- (ज) 31 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (परिशिष्ट-XIII)।